कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

....

क्रमांक 742 /368 / आउशि / संबद्धता / 19 भोपाल, दिनांक : 2-4-2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषयः– विश्वविद्यालयों द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्य प्राध्यापक को मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान करने संबंधी।

सन्दर्भः–

....

महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019–20 हेतु दिनांक 5.10.2018 को जारी मार्गदर्शिका के तहत संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय / संकाय / पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2019 पूर्व से निर्धारित की गई है।

2. इस कार्य में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की संबद्धता / निरन्तरता जारी करने हेतु प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति में सदस्य रूप में मनोनीत कर निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन के उपरान्त ही नवीन सत्र 2019–20 के लिये प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. अतः आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति के सदस्य प्राध्यापक को यदि लोकसभा निर्वाचन 2019 में निर्वाचन कार्य में संबद्ध किया जाता है तो इन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन कार्य संपन्न करने के साथ निरीक्षण कार्य के लिए मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

(वेद प्रकाश IAS)
अपर आयुक्त (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेशग

पृ0क्रमांक 743/ 368 / आउशि / संबद्धता / 19 भोपाल, दिनांक : 2-4-2019

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर कार्यवाही हेतु।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर कार्यवाही हेतु ।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर कार्यवाही हेतु।
6 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, (आई.टी.सैल) की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

अपर आयुक्त (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश